भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3154**

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

**बस टर्मिनल की स्थापना**

†3154. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

श्री इटेला राजेंदर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जगद्गिरिगुट्टा ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में एक प्रमुख यातायात-सृजन केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम से जगद्गिरिगुट्टा में यात्री सुविधाओं सहित एक बस डिपो तथा आधुनिक बस टर्मिनल की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उद्देश्य के लिए जगद्गिरिगुट्टा टाउनशिप के समीप एचएमटी लिमिटेड की लगभग 10 एकड़ की रिक्त भूमि की पहचान की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जगद्गिरिगुट्टा स्थित लगभग 10 एकड़ एचएमटी लिमिटेड की उक्त भूमि को टीजीएसआरटीसी को 99 वर्ष की दीर्घकालिक पट्टे पर नाममात्र के किराए पट्टे पर आवंटित करने की सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। बस टर्मिनल की स्थापना और नगर/कस्बे में यातायात प्रबंधन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त, जगदगिरिगुट्टा किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है।

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी), तेलंगाना सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में स्थित जगदगिरिगुट्टा में लगभग 28 जिला बसें और 47 शहर बसें प्रतिदिन 404 चक्कर लगाती हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, टीजीएसआरटीसी ने एचएमटी (होम मैनेजमेंट ट्रस्ट) की लगभग 10.00 एकड़ भूमि 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर देने के लिए चिन्हित की थी। एचएमटी के अधिकारियों ने बताया कि उक्त भूमि अधिकतम 20 वर्षों की अवधि के लिए 5-5 वर्षों के ब्लॉक में लगभग 6 करोड़ रुपये के वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर उपलब्ध कराई जा सकती है। हालांकि, खबरों के अनुसार, टीजीएसआरटीसी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने कुथुबुल्लापुर मंडल के गजुलारामारम गांव में एचएमटी भूमि के निकट 100 एकड़ सरकारी भूमि आवंटित की है।

*****